चिकित्सालय में निम्नलिखित आपातस्थिति में संपूर्ण ईलाज प्रदान करने की सुविधाएं अनिवार्य हैं:–

- कटनी, सतना, दमोह, सागर एवं ब्यौहारी में स्थित आकस्मिक परिस्थितियों में रेल लाभार्थियों को इलाज देने में पुर्णतया सक्षम सिंगल स्पेशियलिटी/मल्टी स्पेशियलिटी निजी चिकित्सालयों से EOI के अन्तर्गत प्रस्ताव आमंत्रित है।
- चिकित्सालयों को राज्य सरकार के नियमानुसार सभी वैध सर्टिफिकेट, लाईसेंस की प्रति प्रस्ताव के साथ लगाना अनिवार्य है।
- चिकित्सालय अपने प्रस्ताव के साथ उपलब्ध सभी सुविधायों को मशीन सहित विवरण संलग्न करें।
- चिकित्सालय अपने यहां संलग्न पूर्णकालिक/अंशकालिक चिकित्सकों की सूची संलग्न करें।
- चिकित्सालय में उपलब्ध संसाधनों, पलंग की सुविधा, आकस्मिक विभाग, एम्बुलेंस, लैब एवं रेडियोलॉजी सुविधाओं का विवरण संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- रेलवे चिकित्सकों द्वारा आवश्यकतानुसार तथा नियमानुसार आपके चिकित्सालय का निरीक्षण किया जा सकता है।
- प्राइवेट चिकित्सालयों के साथ अनुबंध एक बार में अधिकतम 02 वर्षो के लिये किया जाएगा ।दोनों पक्ष इसे आपसी सहमति पर समय अवधि को बढ़ा सकते है।
- सिंगल स्पेस्लिटी चिकित्सालय को 02 लाख रु. बैंक गारंटी के तौर पर एवं मल्टी स्पेशियलिटी चिकित्सालयों को दस लाख रु अनुबंध के समय से छः माह अधिक अवधि की धरोहर राशि के तहत जमा करना अनिवार्य है।
- चिकित्सालय से अनुबंध करने अथवा निरस्त करने का निर्णय मुख्य चिकित्सा अधीक्षक पमरे जबलपुर का निर्णय मान्य होगा।
- सभी अनुबंधित चिकित्सालयों को स्वास्थ्य मंत्रालय, केन्द्र सरकार, व राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित नीतियों का पालन करना अनिवार्य है।
- अनुबंध CGHS दरों अथवा कम दरों पर यदि चिकित्सालय छूट दे, से ही किया जाएगा।
- आपके पास आधुनिकतम सुविधायुक्त ऑपरेशन थियेटर, लैब, रेडियोलॉजी विभाग 24x7 घंटे की जांच सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए।
- आपके पास smart card reader,with 24x7 hrs. net connectivity की सुविधा होनी चाहिए इस विषय में विस्तृत नियम व शर्ते, भुगतान प्रकिया की दरें west central railway की बेवसाइड https://wcr.indianrailways.gov.in पर या मुख्य चिकित्सा अधीक्षक जबलपुर कार्यालय से सम्पर्क करें।
- रेलवे बोर्ड CGHS द्वारा समय–समय पर की जाने वाली संशोधन को स्वीकार करना होगा।
- आवेदन मुख्य चिकित्सा अधीक्षक जबलपुर मंडल के नाम प्रेषित किया जाए।
- किसी भी चिकित्सालय को मान्यता प्रदान करने का अधिकार रेलवे का होगा।
- यदि निजी चिकित्सालय NABH/CGHS/ESIC/ECHS/PSU से अनुबंधित हैं तो MoU की प्रति संलग्न किया जाए।
- ECHS/ESIC/CGHS /PSU से अनुबंधित चिकित्सालय को प्राथमिकता दी जाएगी व अन्य निजी चिकित्सालय द्वारा भी आवेदन किया जा सकता है।
- सभी निजी चिकित्सालय अपने अस्पताल की दर सूची प्रस्ताव के साथ आवश्यक रूप से संलग्न करें।

आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि:–

आवेदन जमा करने का स्थान :– मुख्य चिकित्सा अधीक्षक कार्यालय केन्द्रीय चिकित्सालय, इंदिरा मार्केट, जबलपुर (म.प्र) 482001

संपर्क नं. – 0761–2620861

ई–मेल नं. – cms@jbp.railnet.gov.in

3/4/23

मुख्य चिकित्सा अधीक्षक
पमरे/जबलपुर